महिलाओं को दोयम दर्जा कब तक

हरियाणा की एक महिला सिविल जज ने अपने एडवोकेट पति पर गला दबाकर और मुंह पर तकिया रखकर उसे जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यह मामला सिर्फ घरेलू हिंसा की पराकाष्ठा है। जब महिलाओं और समाज के दूसरे वर्गों को न्याय दिलाने वाले ही हिंसा का शिकार हों तो अंदाजा लगाया जा सकता होगा कि भारतीय परिवारों में महिलाएं किस हद तक उत्पीड़न झेलती होंगी।

पिछले दिनों आई रिपोर्ट में लैंगिक आधार पर हिंसा को देश की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बताते हुए इस तथ्य को उजागर किया गया था कि भारत में करीब एक-तिहाई शादीशुदा महिलाएं पति के हाथों हिंसा का शिकार होती हैं। जब यह रिपोर्ट आई थी, तब समाज के कई वर्गों से इस तथ्य को खारिज करने और बदलते समाज में खुद की छवि पहले से कहीं ज्यादा उजली दिखाने की कोशिश की गई थी। पर सच ज्यादा दिन तक नहीं छिपता। हरियाणा की एक महिला सिविल जज ने अपने एडवोकेट पति पर गला दबाकर और मुंह पर तकिया रखकर उसे जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पति उन्हें गालियां देता था और वेतन का हिसाब मांगता था। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने अधिवक्ता पर जान से मारने की कोशिश व मारपीट सहित कई धाराओं में केस दर्जकर लिया है। यह मामला सिर्फ घरेलू हिंसा की पराकाष्ठा है। जब महिलाओं और समाज के दूसरे वर्गों को न्याय दिलाने वाले ही हिंसा का शिकार हों तो अंदाजा लगाया जा सकता होगा कि भारतीय परिवारों में महिलाएं किस हद तक उत्पीड़न झेलती होंगी।

महिलाएं समाज और परिवार की धुरी हैं, लेकिन उनके साथ दोयम दर्जे के व्यवहार की समस्या अब भी बरकरार है। समानता का इंसानी हक आज भी आधी आबादी को सही तरह हासिल नहीं हो सका है। भारत ही नहीं अब दुनियाभर में स्त्रियां अपनी पहचान बनाने को जूझ रही हैं। उनके इस संघर्ष में सबसे बड़ी बाधा लैंगिक असमानता है। पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद असमानता की खाई आधी आबादी के लिए दंश बनी हुई है। गैर बराबरी की सोच और व्यवहार से आधी आबादी को घर से लेकर दफ्तर तक हर जगह दो-चार होना पड़ता है। अध्ययन के अनुसार भारत ही नहीं दुनियाभर में बढ़ती आर्थिक असमानता से सबसे ज्यादा लड़कियां और महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। शायद यही वजह रही कि इस साल महिला दिवस के लिए यूएन की थीम भी इसी विषय को संबोधित थी- 'थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज।' इस थीम का उद्देश्य ऐसे प्रयासों को बल देना है जिनसे लैंगिक समानता आए, महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बनें।

इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ाने का विचार लिए इस थीम का लक्ष्य कामकाजी आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी में इजाफा करना है ताकि यूएन द्वारा 2030 तक तय किया गया लक्ष्य प्लेनेट 50-50 हासिल किया जा सके। आज तमाम तरक्की के बावजूद परंपरागत रूप से हमारे समाज में महिलाओं को अभी भी कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है और उनकी भागीदारी को कम करके आंका जाता है। नतीजतन घर और दफ्तर, दोनों जगहों पर महिलाएं उपेक्षा, शोषण, अपमान और भेदभाव को झेलती हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव का व्यवहार दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है-कहीं कम तो कहीं ज्यादा। किसी भी समाज के सभ्य व संवेदनशील होने का पैमाना इससे तय किया जाना चाहिए कि उसका स्त्रियों और कमजोर तबकों के प्रति क्या रवैया है! पर ज्यादातर समाजों में विकास के दिखने वाले कारकों पर ध्यान दिया जाता है और सामाजिक विकास के इस सवाल की अनदेखी की जाती है कि स्त्रियों के क्या अधिकार हैं और वे कैसा जीवन जी रही हैं। घर से बाहर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं तो बड़ी समस्या हैं ही, अपने ही परिवार में हिंसा का सामना करने वाली स्त्रियों की स्थिति शायद ज्यादा जटिल होती है।

हमारे देश में सबसे ज्यादा बदलाव की दरकार समाज में मौजूद परंपराओं और रूढ़ियों को लेकर है। बेटे और बेटी में किए जाने वाले भेद की मानसिकता के चलते आज भी दूर-दराज के गांवों में बेटियों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को महत्व नहीं दिया जाता। आज भी हमारे परिवारों में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को व्यवस्थागत समर्थन मिलता है। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के मोर्चे पर तो अनगिनत चिंताएं हैं ही, घरेलू हिंसा, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसे दंश भी बेटियों के जीवन के दुश्मन बने हुए हैं। सबसे खराब बात यह है किसार्वजनिक स्थलों में महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं पातीं। यह स्थिति सभ्य समाज के लिए कलंक की तरह है। वे कैसे हर जगह स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, इसकी चिंता हर किसी को करनी चाहिए। यह चिंता करना केवल सरकार का काम नहीं।

अनगिनत विरोधाभासों से जूझते हुए महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सशक्त बनने के मोर्चे पर आधी आबादी ने साबित किया है कि वे स्वयंसिद्धा हैं। आज जब वे जीवन के हर क्षेत्र में खुद को साबित कर रही हैं तब यह देखना पीड़ादायी है कि तमाम क्षमता और योग्यता के बावजूद उन्हें कम करके आंकने की सोच समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। लैंगिक समानता भारतीय संविधान के मूल तत्वों में समाहित है। भेदभाव विरोधी तमाम कानूनी प्रावधान भी मौजूद हैं, फिर भी महिलाएं दोयम दर्जे का व्यवहार झेलने को मजबूर हैं। आज की उदारीकृत व्यवस्था में महिलाएं श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा जरूर हैं, लेकिन वे उपेक्षा और शोषण की शिकार भी बन रही हैं। राजनीतिक भागीदारी से लेकर हर क्षेत्र की वर्कफोर्स में उनके बढ़ते दखल के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर पीछे रह जाने का कारण उनका महिला होना ही है। लैंगिक असमानता के चलते ही अस्मिता और सामाजिक सम्मान से जुड़े सरोकार के संघर्ष में महिलाएं खुद अकेले पाती हैं। लोकतांत्रिक देश की नागरिक होने के नाते सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन जीने के लिए लैंगिक असमानता को दूर करना आवश्यक है। बराबरी का यह भाव स्त्री अस्मिता ही नहीं मानवीय मूल्यों से भी जुड़ा है, जो हमारी सामाजिक-पारिवारिक व्यवस्था की दशा व दिशा तय करता है।

तमाम तरक्की के बावजूद परंपरागत रूप से हमारे समाज में महिलाओं को अभी भी कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है और उनकी भागीदारी को कम करके आंका जाता है। नतीजतन घर और दफ्तर, दोनों जगहों पर महिलाएं उपेक्षा, शोषण, अपमान और भेदभाव को झेलती हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव का यह व्यवहार दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है-कहीं कम तो कहीं ज्यादा। विश्व आर्थिक मंच की लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2018 में 144 देशों की सूची में भारत 108वें पायदान पर पाया गया। यह मंच स्त्री-पुरुष असमानता को चार मुख्य मानकों आर्थिक अवसर, राजनीतिक सशक्तीकरण एवं शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के आधार पर तय करता है। यही वे मानक हैं जो किसी भी देश की महिलाओं का स्वतंत्र अस्तित्व गढ़ने और उसे कायम रखने का आधार बनते हैं और उन्हें स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाते हैं।

भारत में जिस तरह का पारंपरिक सामाजिक ढांचा है उसमें केवल सरकारी योजनाएं और कड़े कानून तो महिलाओं को सशक्त हरगिज नहीं बना सकते। असमानता के दंश से मुक्ति पाने के लिए समाज की सोच में भी बदलाव की जरूरत है। इस जरूरत की पूर्ति इसलिए भी की जानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का उत्थान और उनका सशक्तीकरण परिवार व समाज की बेहतरी में ही सहायक बनेगा। देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना जरूरी है। समाज को अपनी पितृसत्तात्मक सोच को पीछे छोड़ना होगा तभी बदलाव दिख सकेगा।

राधाकृष्णन
(वरीष्ठ पत्रकार)

सम्पादकीय

न से नफरत और नफरत से न

2014 के चुनाव में नरेन्द्र मोदी बार-बार कहते थे, आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें 60 महीने देकर देखिए। यानी मोदीजी पांच साल पहले देश की जनता से अपने लिए एक मौका मांग रहे थे कि हमारे हाथों में देश की कमान सौंपिए, तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। जनता ने उनकी दिखलाई उम्मीदों पर भरोसा कर उन्हें बहुमत से संसद भेजा, वे प्रधानमंत्री भी बन गए, एक-एक कर 60 महीने बीत भी गए, और अब मोदीजी फिर जनता से अपने लिए मौका मांगने पहुंच गए हैं। इस बार वे 60 महीने दीजिए, ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने अपने पांच साल के शासन में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिसने आम जनता के जीवन से कठिनाइयां हटा दी हों, बल्कि पांच साल तक वे पिछले 70 सालों में ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, का राग अलापते रहे।

बात-बात पर नेहरूजी को जिम्मेदार ठहराते रहे। और अब भी दूसरे के दोष गिना कर ही वे सत्ता हासिल करना चाहते हैं। फर्क यही है कि अब नेहरूजी की जगह राजीव गांधी उनके निशाने पर हैं। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण ये हो सकता है कि वे पहले राहुल गांधी को अपनी टक्कर का नहीं मान रहे होंगे, इसलिए उनका मखौल उड़ाते रहे और नेहरूजी की आलोचना कर कांग्रेस की छवि खराब करने की तरकीब भिड़ाते रहे। लेकिन पिछले पांच सालों में न भारत कांग्रेसमुक्त हो पाया, न उसकी छवि खराब हुई। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक में जीत इसका प्रमाण है।

राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और भाजपा के चाहे-अनचाहे चुनाव में मोदी बनाम राहुल का माहौल बन चुका है। इसलिए अब मोदीजी केवल राहुल गांधी का मजाक उड़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे उनके स्वर्गीय पिता पर आक्रमण कर उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा करते हुए वे शायद यह भी भूल रहे हैं कि वे संघ के प्रचारक नहीं बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कुछ दिन पहले नरेन्द्र मोदी ने राजीव गांधी के लिए कहा था कि उनका अंत भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में हुआ। उनके इस कथन पर चुनाव आयोग ने तो उन्हें क्लीन चिट दे दी, लेकिन संवेदनशील, समझदार लोगों ने इस बयान की आलोचना ही की। इनमें कर्नाटक भाजपा के नेता श्रीनिवास प्रसाद भी हैं, जो नरेन्द्र मोदी की इस टिप्पणी को गैरजरूरी मानते हैं। उनका कहना है कि- लिट्टे ने योजना बनाकर राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई।

मोदीजी इस टिप्पणी का संज्ञान लेंगे या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन शायद वे पांच चरणों में हुए मतदान का संज्ञान ले चुके हैं, इसलिए उनकी बौखलाहट और बढ़ रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने फिर राजीव गांधी पर टिप्पणी कर राहुल गाांधी की छवि खराब करने की कोशिश की। उन्होंने राजीव गांधी पर आरोप लगाया कि आईएनएस विराट का उपयोग उन्होंने निजी टैक्सी की तरह किया। और इस युद्धपोत पर विदेशियों को ले जाकर भारत की रक्षा के साथ समझौता किया। दरअसल 2013 में इंडिया टुडे में छपी एक खबर का हवाला देकर मोदीजी ने यह गंभीर आरोप लगाया। लेकिन सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल विनोद पसरीचा इस आरोप को गलत बता रहे हैं।